उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या-क0नि0-2-730 / ग्यारह–9(227) / 12–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(99)–2013
लखनऊः दिनांकः 13 जून, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–एक एवं अनुसूची–दो में दिनांक 14 जून, 2013 से निम्नलिखित संशोधन करते हैंः–

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची–एक में, कम संख्या 36 की प्रविष्टि में शब्द ''अन ब्राण्डेड शहद'' अंत में बढ़ा दिये जायेंगे।

(ख) उक्त अनुसूची–दो में, भाग–क में, कम संख्या 53 की प्रविष्टि में, शब्द ''शहद'' के स्थान पर शब्द ''ब्राण्डेड शहद'' रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।